भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 32

मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-कॉमर्स त्वरित वितरण प्लेटफॉर्म

***32. श्री जी. कुमार नायक:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पारंपरिक किराना दुकानों पर, विशेषकर मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा के संबंध में ई-कॉमर्स त्वरित वितरण प्लेटफार्मों के तेजी से विकास के पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों को सुनिश्चित करने और गलाकाट मूल्य निर्धारण को रोकने तथा ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए समान अवसर सृजित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार किराना दुकानों के हितों की रक्षा करने और पारस्परिक लाभ के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ उनके एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचे पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किराना दुकानों का आधुनिकीकरण करने, उनके संचालन में सुधार करने और उभरती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था में उन्हें प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करने के लिए कौन-कौन से सहायता तंत्र प्रदान किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): उत्पादों का मूल्य निर्धारण और उन पर छूट देना व्यावसायिक निर्णय हैं, जो बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। हालांकि, किसी प्रभावशाली उद्यम अथवा समूह द्वारा अनुचित या भेदभावपूर्ण मूल्य तय करना (अनुचित रूप से कम मूल्य निर्धारण) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है। उक्त अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) प्रतिस्पर्धा-रोधी पद्धतियों से संबंधित मामलों का निर्णय करता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पीड़ित पक्ष द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अनुचित रूप से कम मूल्य निर्धारण का विषय शामिल होता है। जब भी सरकार के संज्ञान में मौजूदा कानूनों की विसंगतियां और उल्लंघन की जानकारी लाई जाती है, तो उन पर कार्रवाई की जाती है।

इसके साथ ही, ई-कॉमर्स और खुदरा क्षेत्र संबंधी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति स्थानीय व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखने के सरकार के इरादे को दर्शाती है। ई-कॉमर्स संबंधी एफडीआई नीति का पैरा 5.2.15.2 [उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी दिनांक 26.12.2018 के प्रेस नोट 2 (2018 श्रृंखला) द्वारा यथासंशोधित], ई-कॉमर्स के मालसूची-आधारित मॉडल में एफडीआई पर रोक लगाता है, जहां वस्तुओं और सेवाओं की मालसूची पर ई-कॉमर्स कंपनी का स्वामित्व हो तथा सीधा उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा हो। स्थानीय व्यावसायिक हितों की रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) संबंधी एफडीआई नीति का यह अधिदेश है कि 51 प्रतिशत से अधिक के विदेशी निवेश के लिए, खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य के 30 प्रतिशत की खरीद भारत से की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), ग्राम और कुटीर उद्योगों, कारीगरों व शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) संबंधी एफडीआई नीति किसी क्षेत्र में एफडीआई के लाभों के परिणामस्वरूप उसी अनुपात में उत्पादन पूर्व और उत्पादन पश्चात् चरणों में निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनेक शर्तों का उल्लेख करती है।

सरकार, छोटे खुदरा व्यापारियों और पारंपरिक किराना स्टोरों के हितों की रक्षा, स्थानीय व्यवसाय के हितों की सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों और प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी पद्धतियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना

सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमों, नियमों और नीतियों के रूप में विभिन्न उपाय किए गए हैं। ई-कॉमर्स क्षेत्र पर लागू कुछ अधिनियमों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; आयकर अधिनियम, 1961; कंपनी अधिनियम, 2013; प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 आदि शामिल हैं। एफडीआई नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 में ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबधित प्रावधान निहित हैं।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकने, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा बाजार में अन्य भागीदारों द्वारा व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का अधिदेश देता है। सीसीआई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उद्यमों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों और प्रभुत्व का दुरुपयोग करने से संबंधित मामले देखता है।

उपर्युक्त उल्लिखित पहले से मौजूद व्यापक विधायी फ्रेमवर्क के अलावा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की अग्रगामी पहल भी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से जुड़े सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी प्रोटोकॉल कैटेलागिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑर्डर प्रबंधन तथा ऑर्डर पूरा करने जैसे प्रचालनों को मानकीकृत करता है। इस प्रकार, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय, विशिष्ट प्लेटफॉर्म केंद्रित नीतियों द्वारा प्रशासित होने की बजाय किसी भी ओएनडीसी अनुकूल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उन्हें नेटवर्क पर खोजे जाने और व्यवसाय करने के अनेक विकल्प उपलब्ध कराता है। यह ऐसे व्यापारियों को डिजिटल माध्यमों को आसानी से अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जो वर्तमान में डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर नहीं हैं।

ओएनडीसी किराना दुकानों के परिचालन के आधुनिकीकरण में उनकी सहायता करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कई उपाय कर रहा है। इसके मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

(क) किराना दुकानों का आधुनिकीकरण

i. खरीद के साथ-साथ बिक्री के डिजिटलीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए सरल और उपयोग में आसान मोबाइल एप्लिकेशन का प्रावधान।

ii. खुदरा विक्रेताओं के लिए डिजिटल कैटलॉगिंग, बिलिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन और डिजिटल स्टोरफ्रंट की सुविधा।
iii. डिजिटल टूल और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहायता।

(ख) परिचालन दक्षता में सुधार

i. आस-पड़ोस और छोटे स्थानीय क्षेत्रों में वितरण संबंधी सेवा-क्षमता में सुधार के लिए ऑन-डिमांड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सेवाओं तक पहुंच।
ii. प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समाधानों के माध्यम से स्टॉक की तीव्र गति से पुनः प्रतिपूर्ति हेतु सहायता, स्टॉक-आउट को न्यूनतम करना।
iii. मांग के पूर्वानुमान, अनुशंसित स्टॉक सूची और मूल्य की तुलना के लिए डेटा-संचालित उपकरणों की सुविधा।

(ग) डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाना

i. किराना दुकानों और विनिर्माताओं, ब्रांडों, थोक विक्रेताओं और वितरकों के बीच डिजिटल संपर्क बनाना, ताकि ऑर्डर देने में आसानी हो और बेहतर मार्जिन सुनिश्चित हो सके।
ii. संगठित खुदरा क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा के स्तर पर समान अवसर के लिए मूल्य निर्धारण, ब्रांड स्कीम्स और प्रचार हेतु विशेष प्रोत्साहनों की दृश्यता के संबंध में पारदर्शिता।
iii. सतत विकास को बनाए रखने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक से जुड़ाव और ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद का पता लगाने संबंधी प्रशिक्षण।

उपर्युक्त कार्यकलापों के साथ, ओएनडीसी किराना और सामान्य व्यापार भागीदारों को मूल्य श्रृंखला में अपने परिचालनों को डिजिटल बनाने, डिजिटल इन्वेंट्री संबंधी चुनौतियों का समाधान करने, पारदर्शी मूल्य-निर्धारण और बेहतर नियंत्रण करने, और छोटे स्थानीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है ताकि वे ई-कॉमर्स में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें और आगे बढ़ सकें। पिछले 3 वर्षों के दौरान, ओएनडीसी ने 3,500 से अधिक दुकानों और किराना स्टोरों को सहायता प्रदान की है जिससे वे नेटवर्क पर 4.5 लाख से अधिक का लेन-देन कर पाए हैं।

*****